न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

उपस्थितिः– धीरज कुमार भास्कर,अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

**नियमित जमानत आवेदन सं0 250/26**

मुटरू उर्फ मंजीत उर्फ रोहित कुमार उर्फ रोहित राज, पे0–स्कंद महतो
साकिन–पहाड़पुरा, थाना–बिहार, जिला–नालंदा.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार

**09.03.2026**

दीपनगर थाना काण्ड सं0 28/2026 अंतर्गत धारा– 25(1-B)(b),26 शस्त्र अधिनियम के आवेदक अभियुक्त मुटरू उर्फ मंजीत उर्फ रोहित कुमार उर्फ रोहित राज की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को प्राप्त करा दिया गया है। आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर आज सुनवाई की गयी। आवेदक दिनांक–12.01.2026 से कारा अभिरक्षा में है। आवेदक का जमानत आवेदन विद्वान् मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नालंदा, बिहारशरीफ द्वारा दिनांक–13.02.26 को खारिज किया गया है।

उक्त जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता ने जमानत आवेदन के समर्थन में कथन किये है कि सूचक रणधीर कुमार, पु0अ0नि0, दीपनगर थाना के टंकित आवेदन के आधार पर दीपनगर थाना कांड संख्या–28/2026 दर्ज किया गया है। आवेदक की ओर से पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन या नियमित जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया है। आवेदक के विरूद्ध पूर्व से तीन केस लंबित है। विद्वान् मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नालंदा, बिहारशरीफ के द्वारा दिनांक–13.02.26 को आवेदक का जमानत आवेदन खारिज किया गया है। इस केस में आवेदक के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। वह बिल्कुल निर्दोष है। वह दिनांक–12.01.2026 से कारा अभिरक्षा में है। वे अनुसंधान में सहयोग करने को तैयार हैं। वह न्यायालय के सभी आदेश को मानने को तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाए।

विद्वान् विशेष लोक अभियोजक उक्त जमानत आवेदन का विरोध करते है।

सूचक रणधीर कुमार,पु0अ0नि0, दीपनगर थाना के द्वारा दिये गये टंकित आवेदन के आधार पर अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक को दिनांक–12.01.26 को 00.05 बजे छापामारी के क्रम में सूचना मिला की दीपनगर थाना कांड संख्या–533/25 के अभियुक्त मुटरू उर्फ मंजीत को कैम्ब्रीज स्कूल के पास देखा गया है। इस सूचना पर वह स्कूल के पास पहुॅचा तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे पकड़ लिया गया। उसने अपना नाम मुटरू उर्फ मंजीत उर्फ रोहित कुमार बताया। तलाशी लिए जाने पर उसके पास से लोहे का बना एक देशी कट्टा बरामद हुआ, पहने हुए जिंद के दाहिने पॉकेट से 02 जिंदा कारतूस जिसके पेंदी पर 8 M.M KF अंकित था एवं एक मोबाईल आसमानी रंग का बरामद हुआ। पकड़ाये व्यक्ति ने बताया कि दोस्तो के साथ मिलकर हमलोग कट्टा के बल पर जमीन कब्जा करते हैं तथा एक माह पूर्व कम्ब्रीज स्कूल के पास मैरेज हॉल में मारपीट में हुई थी तथा गोली कांड में इसका उपयोग किये थे। बरामद सामानों का जप्ती सूची बनाकर पकड़ाये व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

क्रमशः

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

उपस्थितिः— धीरज कुमार भास्कर,अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम् सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

**नियमित जमानत आवेदन सं0 250/26**

**मुटरू उर्फ मंजीत उर्फ रोहित कुमार उर्फ रोहित राज बनाम बिहार सरकार**

लगातार

09.03.2026

जमानत के बिन्दु पर उभय पक्षों का तर्क सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक मुटरू उर्फ मंजीत उर्फ रोहित कुमार उर्फ रोहित राज के विरूद्ध अभियोग है कि आवेदक के पास से एक देशी कट्टा एवं दो कारतूस बरामद हुआ है। केस दैनिकी के कंडिका—4 में सूचक तथा कंडिका—07 में साक्षियों ने अभियोजन घटना का समर्थन किया है। कंडिका—10 के अवलोकन से प्रतित होता है कि आवेदक के विरूद्ध पूर्व से तीन केस लंबित है, जिसमें दो केस Excise Act से संबंधित है तथा शेष एक केस मारपीट से संबंधित है। आवेदक के जमानत आवेदन के कंडिका—3 में कहा गया है कि वे तीनों वाद में जमानत पर है। आवेदक दिनांक—12.01.26 से कारा अभिरक्षा में है। इस स्थिति में आवेदक मुटरू उर्फ मंजीत उर्फ रोहित कुमार उर्फ रोहित राज को जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचना करने के उपरांत न्यायालय आवेदक अभियुक्त मुटरू उर्फ मंजीत उर्फ रोहित कुमार उर्फ रोहित राज की ओर से 15000/—रूपये के समतुल्य राशि के दो प्रतिभूओं वाले बंध पत्र निष्पादित करने के उपरान्त जमानत पर मुक्त किये जाने का **आदेश** इस शर्त पर दिया जाता है कि :—

1. आवेदक के एक जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार होंगे।
2. वे भविष्य में इस तरह के अपराध में शामिल नहीं होंगे।
3. आवेदक वाद के अनुसंधान/विचारण में सहयोग करेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)
ह0/—
(धीरज कुमार भास्कर)
अपर सत्र न्यायाधीश—षष्टम्
सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधिनियम
नालन्दा, बिहारशरीफ।